



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर गांजा तस्करी करने वाले अभियुक्त को **10 माह से अधिक का कारावास व ₹ 5,000 के अर्थदंड** की सजा दिलाई गई,,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विकशन अभियान** के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर , सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत अ0सं0-221/2011 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई ।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी द्वितीय जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर **अभियुक्त नारायण लोधी पुत्र जागेश्वर** निवासी बसवारी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को **10 माह से अधिक का कारावास व ₹5,000** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री प्रवीण
भदौरिया



विवेचक उ0नि0 श्री
हनुमान प्रसाद



पैरोकार थाना मुस्करा
का0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह